# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

**राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –121 / 2021**

**दायर दिनांक – 07.12.2021**

**निर्णय दिनांक – 03.01.2022**

**जीसीएमएस नं0 – 2021 / 215**

| **प्रार्थीगण** | **बनाम** | **अप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| 1. श्री छींतर सिंह पुत्र श्री भूरा<br>2. श्री मदन सिंह पुत्र श्री भूरा<br>समस्त निवासीगण ग्राम गोयला तहसील पुष्कर जिला अजमेर। | | 1. ग्राम पंचायत तिलोरा जरिये सरपंच।<br>2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर। |

**<u>राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>**

**उपस्थिति– 1. श्री सुभाष निम्बावत, अधि0, प्रार्थीगण**
**2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर**

## –: निर्णय :–

**संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 सपठित धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम गोयला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्किंग खसरा नम्बर 1148, 1144 व 1143 जिसके वर्तमान खसरा नं. क्रमशः 922 रकबा 0.26 हैक्ट., 922 रकबा 0.37 तथा 922 मिन रकबा 0.03 एवं 924 रकबा 0.14 [illegible] स्थिति व रकबे के अनुसार हाल नक्शा को दुरूस्त किये जाने हेतु प्र[illegible] किया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:37:47 IST
Reason: SelfAttested

**इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को [illegible] रजिस्टर किया जा[illegible] प्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं. 01 सरपंच तिलोरा द्वारा दिनांक 03.01.2022 जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा**

03.01.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

अप्रार्थी सं. 02 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2768 दिनांक 24.12.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " राजस्व ग्राम किशनपुरा गोयला वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के आराजी खसरा नं. 1091 रेगबा 01–04–00 बीघा, 1148 रकबा 01–12–10 बीघा, 1158 रकबा 17 बीस्वा, 1143 रकबा 01–01–00 बीघा, 1144 रकबा 02–05–10 बीघा पर खातेदार भूरा वल्द मोड़ा रावत सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम गोयला के हाल खसरा नं. 922 रकबा 0.66 हैक्ट. वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 60 में छींतर सिंह पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 जाति रावतउ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा पुष्कर दर्ज है। मदन सिंह उर्फ नानू पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 जाति रावत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा पुष्कर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्किंग खसरा नम्बर 1143, 1144, 1148 की वर्किंग राजस्व नक्शे की सीमा आकृति का हाल नक्शे के खसरा नम्बर 922 की सीमा आकृति से मिलान करने पर तुलनात्मक विश्लेषण से कोई भिन्नता नहीं है। प्रार्थी द्वारा वर्किंग खसरा नम्बर 1143, 1144, 1148 के वर्तमान खसरा नम्बर 922 में दुरूस्ती कराने का अनुतोष चाहा गया है जिसकी अनुशंषा नहीं की जा सकती है।"

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम गोयला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्किंग खसरा नम्बर 1143, 1144, 1148 की वर्किंग राजस्व नक्शे की सीमा आकृति का हाल नक्शे के खसरा नम्बर 922 की सीमा आकृति से मिलान करने पर तुलनात्मक विश्लेषण से कोई भिन्नता नहीं होने के कारण खसरा नम्बर 922 में दुरूस्ती न्यायोचित नहीं है।

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। राजस्व ग्राम गोयला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्किंग खसरा नम्बर 1143, 1144, 1148 की वर्किंग राजस्व नक्शे की सीमा आकृति का हाल नक्शे के खसरा नम्बर 922 की सीमा आकृति से मिलान करने पर तुलनात्मक विश्लेषण से कोई भिन्नता नहीं होने के कारण दुरूस्ती उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:37:47 IST
Reason: SelfAttested

03.01.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

नहीं होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

03.01.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:37:47 IST
Reason: SelfAttested